कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0–2496/मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिसम्बर 29, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जपनद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम – कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या 1188/11–सी एफपी/यूपी/इण्डस्ट्रीयल/23246/2016 दिनांक 14.12.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक– 3402 (1)/14–2–2018 वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 14.12.2018 में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित सुस्पष्ट टिप्पणी/आख्या संस्तुति सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा को इस कार्यालय के पत्रांक 2319/मी0/33/दिनांक 17.12.2018 द्वारा निर्देशित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1903/ओबरा/15भू0ह0, दिनांक 22.12.2018 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार निम्न प्रकार प्रेषित है।

क0सं0	अपेक्षित सूचना	आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव की आवश्यकता / अपरिहार्यता	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1903/ ओबरा/ 15 भू0ह0 दिनांक 22.12.2018 द्वारा प्रस्ताव की आवश्यकता / अपरिहार्यता के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 19.12.2018 एवं 21.12.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित किया गया है **जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।**
2	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 01.08.2018	दिनांक 01.8.2018 की निरीक्षण टिप्पणी प्रश्नगत प्रस्ताव में दी जा चुकी है जिस पर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर स्तर से टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

अतः प्रश्नगत बिन्दु की आख्या मय संलग्नक सहित तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,
29/12/18
(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– अ/समदिनांक

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके पत्र संख्या–1903/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 22.12.2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 1983 **/ओबरा/15 भू0ह0** **दिनांक–** 22-12-**2018.**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–3402(1)/14–2–2018 दिनांक–14.12.2018, इस कार्यालय के पत्रांक–1846/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–18.12.2018 तथा मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 का पत्रांक– जे0ए0एल0/2016–12 दिनांक–19.12.2018 तथा पत्रांक–जे0ए0एल0/2016–12/2 दिनांक–21.12.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–3402(1)/14–2–2018 दिनांक–14.12.2018 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–1846/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–18.12.2018 द्वारा जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 से उ0प्र0 शासन के कार्यालय द्वारा वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी, जिसके अनुपालन में जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–जे0ए0एल0/2016–12 दिनांक–19.12.2018 से सूचना उपलब्ध करायी गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–1874/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–20.12.2018 से जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 के सीमेन्ट कारखानों को अल्ट्राटेक को हस्तान्तरण के सम्बन्ध The National Company law Tribunal Bench Allahabad में दाखिल तिथि से अवगत करानें का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 ने अपने कार्यालय के पत्रांक–जे0ए0एल0/2016–12/2 दिनांक–21.12.2018 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अतः मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 का पत्रांक– जे0ए0एल0/2016–12 दिनांक–19.12.2018 तथा पत्रांक–जे0ए0एल0/2016–12/2 दिनांक–21.12.2018 की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(मूल चन्द)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0, सेक्टर 128, नोएडा, उ0प्र0 को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मूल चन्द)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

3527
33
25-12-18

F:\New Folder\AM-3.Docx

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

SECTOR-128, NOIDA (U.P.)

JAIPRAKASH

ASSOCIATES LIMITED

पत्रांक सं0 – JAL/ 2016-12 दिनांक – 19-12-2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग,

ओबरा, सोनभद्र।

विषय – जनपद – सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा – सोनभद्र) के पत्रांक – 1846/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 18-12-2018

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (लखनऊ) के पत्रांक – 1188/11-सी-FP/UP/IND/23246/2016 लखनऊ, दिनांक – 14.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय में माननीय एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 04.05.2016 के क्रम में फार्म-A में आवेदन सं0 FP/UP/IND/23246/2016 दिनांक 23.12.2016 के अन्तर्गत निहित 115.874 हे0 वन भूमि के विषय में आख्या उपल्बध करानें का निर्देश दिया गया है –

1. प्रस्ताव की आवश्यकता / आपरिहर्यता।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 01.08.2018

प्रस्ताव की आवश्यकता/आपरिहर्यता के विषय में आख्या निम्नवत है -

1. उ०प्र० सरकार द्वारा वर्ष 1954 में चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।
2. वर्ष 1972 में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम का गठन किये जाने पर उक्त फैक्ट्री की समस्त सम्पत्तियों को राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट निगम के मध्य स्थापित हुए हस्तान्तरण डीड द्वारा उक्त कारपोरेशन को सौंप दिया गया था। 1 अप्रैल 1972 से उक्त भूमि पर परिसम्पत्तियों का उपयोग उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम द्वारा किया जा रहा था।
3. वर्ष 1992 में सीमेन्ट निगम में लगातार घाटे के कारण दिनांक 08.12.1999 को मा० उच्च न्यायालय कम्पनी जज द्वारा BIFR की संस्तुति पर सीमेन्ट निगम को Liquidate करने के आदेश करते हुए इस हेतु Official Liquidator की तैनाती कर दी गयीं।
4. दिनांक 08.12.1999 को मा० न्यायालय कम्पनी जज द्वारा सीमेन्ट निगम को Liquidate करने के अपने आदेश के उपरान्त बिक्री करने के उद्देश्य से अपने आदेश दिनांक 14.02.2002 द्वारा अपने स्तर से "एसेट्स सेल्स कमेटी" का गठन किया। दिनांक 30.01.2006 को मा० न्यायालय

कम्पनी जज द्वारा में जे०पी० एसोसिएट्स के ऑफर को अधिकतम ऑफर बताते हुए उनके टेण्डर को स्वीकार कर लिया गया। 115.874 हे० पर निर्माण भी सीमेन्ट निगम की परिसम्मपत्तियों का हिस्सा है।

5. प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष 2008 में मै० जै०पी० एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा-4 के विज्ञप्ति से पृथक किये गये 1083.203 हे० वन भूमि को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मा० एन०जी०टी० न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का धारा – 20 की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी हैं जिसकी स्वामित्व वन विभाग है। मा NGT ने Central Empowered Committee के सुझावों को स्वीकार करते हुए दिनांक 04.05.2016 एवं 30.05.2016 के पारित आदेश में 1083.203 है० भूमि पुनः वन भूमि घोषित करते हुऐ उक्त भूमि को मैं० जयप्रकाश एसोशिएट्स लि०, वन विभाग एवं राज्य सरकार को FCA 1980 की धारा – 2 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण कराने का निर्णय पारित किया।

6. उल्लेखनिय है कि NGT के आदेश के क्रम में ग्राम कोटा, पडरच एवं ओबरा पलारी मे कुल 586.178 है० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु 02 प्रस्ताव दिये गये हैं -

1. 115.874 है० जे०पी० सुपर सिमेन्ट प्लान्ट एवं कालोनी FP/UP/MIN/23246/2016 दिनांक 23/12/2016
2. 470.304 है० लाइम स्टोन माइंस लीज FP/UP/MIN/23437/2016 दिनांक 03/12/2016

470.304 है० वन भूमि का प्रस्ताव खनन से सम्बन्धित है जो लाइम स्टोन खनन पट्टों का हिस्सा है।

115.874 है० वन भूमि का प्रस्ताव जे०पी० सुपर सिमेन्ट प्लांट एवं आवासिय परिसर का हिस्सा है।

7. उक्त दोनो प्रस्ताव NGT में निर्णित वन भूमि 1083.203 है० का हिस्सा हैं। उक्त भूमि 115.874 हे0 पर क्रशर, रोप-वे एवं जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लांट निर्मित है। इसके आवासीय परिसर में आवास, स्कूल एवं अन्य निर्माण है।

DETAILS OF HOUSES

क्र०सं०	विवरण	कुल संख्या
A	Plot 933 क	
1.	Res. Qtrs	399
2.	El. Substation	2
3.	Play Ground	2
4.	Inter Collage	1
5.	ITI College	1
6.	Bitumen Roads	
B	Plot 2576 क	
1.	Res. Qtrs	16
2.	CBSE School	1
3.	Bitumen Roads	

C.	Plot 3200, 3199, 3202 & 3198
1.	Super Cement Plant, Road, pipe Conveyor Structure, Ropeway

8. The National Company Law Tribunal Bench Allahabad के पारित आदेश दिनांक 02/03/2017 के अन्तर्गत जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० के सीमेन्ट कारखानों को अल्ट्राटेक को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके अनुसार वन भूमि के संबन्धित हस्तांतरण प्रस्ताव पर मै० जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा अनुमति प्राप्त की जानी है। अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमानुसार वन भूमि की अनुमति को अल्ट्राटेक सिमेन्ट को हस्तांतरित किया जायगा।

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 01.08.2018 बिन्दु – 02 की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, (ओबरा - सोनभद्र) अथवा मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर) द्वारा वांछित है। उ

धन्यवाद।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लि०

ब्रिगे० आर०आर० बाली (से०नि०)
वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष

प्रभागीय वनाधिकारी
3577
33
20-12-18

संलग्न - उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि – 1. - मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर)
2. - मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (लखनऊ)

प्रभारी व०क्षे० ९
कृपया आ०का० करें
प्र०व०अ०
ओबरा
20/12/2018

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED
SECTOR-128, NOIDA (U.P.)

JAIPRAKASH
ASSOCIATES LIMITED

पत्रांक सं0 – JAL / 2016.12 / 2

दिनांक : 21.12.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा, सोनभद्र।

विषय – जनपद – सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.674 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संन्दर्भ: 1. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा – सोनभद्र) के पत्रांक – 1874 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 20.12.2018
2. प्रभागीय वनाधिकारी (ओबरा – सोनभद्र) के पत्रांक – 1846 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 18.12.2018
3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (लखनऊ) के पत्रांक – 1188 / 11–सी–FP/UP/IND/23246/2016 लखनऊ, दिनांक – 14.12.2018

महोदय,

1. आपके उपर्युक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि हस्तांतरण का वाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कम्पनीज एक्ट के अर्न्तगत 30.08.2016 एवं 07.11.2016 को दाखिल किया गया था।

2. The National Company Law Tribunal के गठन के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.12.2016 के आदेश से उक्त वाद को NCLT को हस्तांतरण कर दिया था।

3. उक्त के संबंध में वांछित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

कृते जयप्रकाश एसोसिएटस् लि0

ब्रिगे0 आर0आर0 बाली (से0नि0)
वरिष्ठ संयुक्त अध्यक्ष

संलग्न – उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि – 1. मुख्य वन संरक्षक (मीरजापुर)
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (लखनऊ)

Case Status - COMPANY APPLICATION (COMP) - [29/2016]

Filing No.	COMP/29/2016	Filing Date : 30-09-2016
CNR	UPHC011003092016	Date of Registration : 30-09-2016

Case Status

First Hearing Date	21st December 2016
Date of Decision	21st December 2016
Case Status	Case Disposed
Nature of Disposal	Disposed off/Decided on merits
Stage of Case	For Order
Coram (Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice)	ANJANI KUMAR MISHRA (2288)
Bench Type	Single Bench
Judicial Branch	Company Matters
State	UTTARPRADESH
District	GAUTAM BUDDH NAGAR

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	Respondent
IN THER MATTER OF JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD. AND ANOTHER Advocate - RAJENDRA PRASAD AGRAWAL, MANISH GOYAL	Advocate - ,

Category Details

Category	COMPANY APPLICATION (210300)
Sub Category	Miscellaneous (90)

Brig. (Retd) R. R. Bali
Authorised Signatory
For Jaiprakash Associates Ltd.

Court No. - 2

Case :- COMPANY PETITION No. - 49 of 2016

Petitioner :- In The Matter Of Jaiprakash Associates Limited And Another
Counsel for Petitioner :- Rajendra Prasad Agrawal
Counsel for Respondent :- Manish Goel,Nitin Sharma,Ram M.Kushik,Rriyanka Midha

Hon'ble Anjani Kumar Mishra,J.

This Company Petition has been placed before the Court as in view of clause (c) of Section 434 (1) of the Companies Act, 2013 and the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules and the Companies (Removal of Difficulties) Fourth Order, 2016, w.e.f. 15 December, 2016, the same has to be transferred to the National Companies Law Tribunal, Allahabad Bench, constituted under Section 408 of the Companies Act, 2013.

None has raised any objection.

It is accordingly ordered to be transferred to the National Companies Law Tribunal, Allahabad Bench and for the purposes of the High Court, the same stands disposed of, as transferred to the National Companies Law Tribunal.

Order Date :- 21.12.2016
Priyanka

Brig. (Retd) R. R. Bali
Authorised Signatory
For Jaiprakash Associates Ltd.